

राजस्व वाद संख्या:- 133/2021  
धर्मपाल बनाम ओमप्रकाश वगैरे  
निर्णय दिनांक:- 16.06.2023

मूल वाद में (अन्तिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर, सूरजगढ जिला झुंझुनूं

सीन अधिकारी :-

कविता गोदारा, (आर.ए.एस.)

स्व वाद सं.- 133/2021

यि दिनांक :- 16-06-2023

धर्मपाल बनाम ओमप्रकाश वगैरे


दावा बाबत खाता विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

वादी की ओर से श्री रामेश्वर दयाल व प्रतिवादी सं० 1, 04, 05 की ओर से श्री संदीप न एड० की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.06.2023 को कविता गोदारा, उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि-

" न्यायालय वाद वादीगण डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः भूमि खेत खसरा न० 1128/64 रकबा 0.68 है०, खसरा न० 1129/66 रकबा 1.91 है०, खसरा न० 1167/651 रकबा 3.09 है०, खसरा न० 1168/664 रकबा 2.31 है०, खसरा न० 665 रकबा 0.23 है०, खसरा न० 758 रकबा 4.29 है०, खसरा न० 759 रकबा 1.18 है०, खसरा न० 760 रकबा 0.34 है० कुल कित्ता 08 कुल रकबा 14.03 है० वाके ग्राम काकोड़ा में तहसीलदार सूरजगढ से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव क्रमांक भूअ./2022/2415 दिनांक 04.10.2022 के अनुसार वाद वादीगण डिक्री किया जाता है । विभाजन प्रस्ताव निर्णय व डिक्री का भाग रहेगा। उक्तानुसार ही तहसीलदार सूरजगढ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते है।"

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 16.06.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
(कविता गोदारा)  
उपखण्ड अधिकारी,  
पदेन उप जिला कलक्टर,  
सूरजगढ